मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के दुर्गापुरा के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के हस्तान्तरण कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल व सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार भी शामिल हुए ।

किसानों को लाभांवित करने में राजस्थान देश में पाँचवे स्थान पर- भजनलाल

पीएम किसान सम्मान निधि पर मुख्यमंत्री ने राज्यस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया

जयपुर, 19 नवम्बर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच देश के किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के विकास से जुड़ी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों के अनुरूप अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास तथा हर जरूरतमंद तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उसके जीवन स्तर को उठाने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के हस्तान्तरण कार्यक्रम से वीसी के माध्यम से जुड़े। जयपुर के दुर्गापुरा के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।

■ **प्रधानमंत्री मोदी ने कोयम्बटूर में किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त हस्तांतरित की, मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जुड़े।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अब तक 20 किस्त जारी हुई हैं, जिससे राजस्थान के किसानों के खातों में 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। 21वीं किस्त में लगभग 1400 करोड़ की राशि किसानों के खातों में जमा करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि लाभान्वित किसानों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में पांचवां स्थान है।

उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार तीन हजार रुपये की राशि अलग से दे रही है। इसके अलावा, किसानों को बिजली के बिलों में 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है।

समारोह में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने कहा कि कृषि और सहकारिता एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि किसान हमारे समाज और अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं।

इस दौरान सहकारिता से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, शासन सचिव कृषि राजन विशाल सहित, संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

केरल में एसआईआर की याचिकाओं की सुनवाई 21 को

नयी दिल्ली, 19 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केरल में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह को सुनवाई के लिए 21 नवंबर को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

अधिवक्ता हारिस बीरन ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के समक्ष इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की ओर से दायर याचिका का हवाला दिया, जिसमें इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया था। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

बीरन ने दलील दी कि राज्य में चल रहे स्थानीय निकाय चुनावों के कारण एसआईआर को एक साथ कराना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाएगा।

अधिवक्ता सी.के. शशि ने केरल सरकार की याचिका का भी उल्लेख किया, जिसमें एसआईआर अधिसूचना को चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि स्थानीय निकाय चुनाव समाप्त होने तक पुनरीक्षण प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की गई है।

पेपर लीक के मास्टर माइंड जगदीश विश्नोई की जमानत याचिका खारिज

हाई कोर्ट ने विश्नोई के साथ तीन अन्य आरोपियों को भी जमानत देने से इनकार किया

जयपुर, 19 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई सहित, अन्य तीन आरोपियों- राजीव विश्नोई, कार्तिकेय शर्मा और रिंकू यादव को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस चन्द्रप्रकाश श्रीमाली ने ये आदेश आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

आरोपियों ने जमानत याचिका में कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मुकदमे में की ट्रायल में लंबा समय लगने की संभावना है और वे लंबे समय से जेल में बंद हैं। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। इसके विरोध में राज्य सरकार की ओर से विशेष अभियोजक अनुराग शर्मा व अधिवक्ता अक्षत शर्मा ने कहा कि जगदीश विश्नोई ही एसआई भर्ती, 2021 पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। उसने ही गैंग बनाकर पेपर लीक किया और भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता को भंग किया। वहीं, राजीव बिश्नोई न केवल अभ्यर्थी है, बल्कि गैंग हैंडलर भी है। उसने ही पेपर को सॉल्व करके आगे फैलाया था। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने पेपर खरीदकर रिंकू यादव को बेचा। आरोपियों ने मिलीभगत कर एसआई भर्ती का पेपर लीक किया। आरोपियों के खिलाफ अभियोजन के पास पर्याप्त सबूत हैं। इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए।

■ **आठ महीने पहले जगदीश विश्नोई को जेईएन-भर्ती-2020 पेपर लीक मामले में जमानत मिली थी, लेकिन एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में जेल में बंद होने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ पाया था।**

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों से सहमत होकर मुख्य आरोपी जगदीश विश्नोई सहित, अन्य तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि आठ महीने पहले जगदीश विश्नोई को जेईएन भर्ती-2020 पेपर लीक मामले में जमानत मिली थी, लेकिन एसआई भर्ती मामले में जेल में बंद होने के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ पाया था। ऐसे में अब याचिका खारिज होने के चलते उसे फिलहाल जेल में ही बंद रहना पड़ेगा।

अनमोल बिश्नोई के दिल्ली पहुंचते ही एनआईए ने गिरफ्तार किया

उस पर सिद्धू मूसावाला व बाबा सिद्दीकी हत्याकांड तथा सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले दर्ज हैं

नयी दिल्ली ,19 नवंबर। खूंखार गैंग्स्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर उतरते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।

अनमोल पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप हैं और वह लंबे समय से फरार था। वर्ष 2022 से फरार और अमेरिका में रह रहा अनमोल बिश्नोई जेल में बंद अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई की अगुवाई वाले आतंकी सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार होने वाला 19वाँ आरोपी है।

■ **वर्ष 2022 से फरार गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई जेल में बंद अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई की सिंडीकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार होने वाला 19 वां आरोपी है।**

मामले की जाँच के बाद यह स्थापित हुआ कि अनमोल ने 2020-2023 की अवधि के दौरान देश में विभिन्न आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने में नामित आतंकवादी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई की सक्रिय रूप से सहायता की थी। एनआईए ने मार्च 2023 में अनमोल के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

गौरतलब है कि अनमोल के खिलाफ सिद्धू मूसेवाला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग सहित गंभीर मामले दर्ज हैं। एनआईए ने उस पर दस लाख का इनाम घोषित किया था। अनमोल पर कुल 18 मामले दर्ज हैं, जिनमें जबरन वसूली, हत्या और हथियार -तस्करी शामिल हैं।

गिरोह के विभिन्न सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हुये अनमोल ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए अमेरिका से आतंकवादी सिंडिकेट चलाना और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा।

राष्ट्रपति छत्तीसगढ़, तेलंगाना व आंध्र के दौरे पर

नयी दिल्ली 19 नवम्बर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु गुरुवार से छत्तीसगढ़ , तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तीन दिन की यात्रा पर जायेंगी।

राष्ट्रपति सचिवालय ने बुधवार को बताया कि मुर्मु गुरुवार को अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ सरकार के जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगी।

■ **वे आज अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ सरकार के जनजातिय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगी।**

शुक्रवार को वह सिकंदराबाद के बोलारम स्थित राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगी। भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की समृद्ध सांस्कृतिक, पाककला और कलात्मक परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा।

नीतीश ने अपने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शासन की अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था।

जनता का विश्वास वापस पाने और भाजपा के साथ नई सत्ता-साझेदारी की जटिलताओं को संभालने की दोहरी चुनौती के बीच, नीतीश कुमार ने यह निर्णायक कदम उठाया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री अपने नए कार्यकाल की शुरुआत इस साफ संदेश के साथ करना चाहते थे कि कैबिनेट में जगह वफादारी से नहीं, बल्कि ईमानदारी से तय होगी।

यह कदम भाजपा पर भी हल्का-सा दबाव बनाता है, जिसके डिप्टी सीएम उम्मीदवार अभी भी अप्रिय आरोपों से घिरे हुये हैं। भ्रष्टाचार-विरोधी समीक्षा एवं संवीक्षा को रेखांकित करने वाला नीतीश का यह फैसला आने वाले दिनों में गठबंधन की कार्यशैली और प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है।

अशोक चौधरी को हटाकर नीतीश कुमार ने अपने प्रशासन के लिए एक स्पष्ट रेखा खींच दी है, राजनीतिक जान-पहचान विश्वसनीयता के महत्व पर भारी नहीं पड़ेगी। जहाँ विपक्ष इसे मजबूरी में उठाया गया राजनीतिक कदम बता रहा है, वहीं सत्ताधारी गठबंधन इसे बिहार में साफ और जवाबदेह शासन की दिशा में उठाया गया मजबूत कदम बता रहा है।

एकल पट्टा क्लोज़र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हाईकोर्ट ने भी आगामी जांच के लिए कहा है। इसलिए क्लोजर रिपोर्ट वापस लेने की मंजूरी दी जाए। इसके साथ ही, मामले में इनटर्वीनर अशोक पाठक ने कोर्ट से प्रोटेस्ट पिटिशन पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर एसीबी कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को तय की है।

गौरतलब है कि तत्कालीन डीआईजी सवाई सिंह गोदारा ने तीसरी क्लोजर रिपोर्ट पेश कर कहा था कि कोई मामला नहीं बनना पाया गया। वहीं, परिवादी रामशरण सिंह के अधिवक्ता रहे संदेश खंडेलवाल ने बताया कि इस क्लोजर रिपोर्ट को परिवादी ने प्रोटेस्ट पिटिशन के जरिए चुनौती देते हुए मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेने का आग्रह किया था।

इस प्रोटेस्ट पिटिशन पर भी सुनवाई होनी है। दरअसल हाईकोर्ट ने पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की याचिका पर एक नवंबर को सुनवाई करते हुए एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने वाली प्रोटेस्ट पिटिशन पर सुनवाई का रास्ता साफ कर एसीबी को आगामी कार्रवाई की छूट दी थी।

मान्यता प्राप्त किये बिना ही अल फलाह ने 415 करोड़ रु. की फीस वसूली

साकेत अदालत ने सिद्दीकी को धनशोधन के मामले में 13 दिन की ईडी हिरासत में भेजा

नयी दिल्ली (19 नवंबर) दिल्ली की एक अदालत ने अल-फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के अध्यक्ष एवं कुलाधिपति जावद अहमद सिद्दीकी को कथित धोखाधड़ी वाले मान्यता दावों से जुड़े धनशोधन मामले में 13 दिनों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। यह आदेश मंगलवार देर रात साकेत जिला न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने पारित किया।

ईडी ने 14 दिन की हिरासत की मांग करते हुए तर्क दिया था कि सिद्दीकी उस योजना के केंद्र में था जिसमें अल-फलाह विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध संस्थानों ने कथित रूप से लगभग 415.10 करोड़ रुपये की अपराध आय अर्जित की थी। एजेंसी के अनुसार, यह राशि एनएएसी मान्यता और यूजीसी मान्यता के झूठे दावों के आधार पर छात्रों से एकत्रित की गई फीस है।

■ **ईडी के अनुसार छात्रों से फीस की राशि एनएएसी मान्यता व यूजीसी मान्यता के झूठे दावे के आधार एकत्रित की गई।**

ईडी ने तर्क दिया कि इन भ्रामक प्रथाओं का उपयोग छात्रों एवं अभिभावकों को बेईमानी से फीस का भुगतान करने हेतु प्रेरित करने के लिए किया गया, जिससे अत्यधिक अपराध आय अर्जित हुई। 2014-15 से 2024-25 तक आयकर रिटर्न के वित्तीय विश्लेषण से पता चला कि शैक्षिणक राजस्व में भारी वृद्धि हुई है, जिन वर्षों में संस्थान को मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी उन वर्षों के दौरान कुल 415.10 करोड़ रुपये को शैक्षिणक राजस्व घोषित किया गया था।

ईडी ने रिमांड अर्जी में आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय का संचालन करने वाले अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के नियंत्रक सिद्दीकी इस योजना में अहम भूमिका निभा रहे थे। ईडी की याचिका का विरोध करते हुए, सिद्दीकी के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है।

बचाव पक्ष ने दलील दी कि धनशोधन मामले का आधार बनने वाली दोनों प्राथमिकी झूठी और मनगढ़ंत थीं।

दोनों पक्षों को सुनने और मामले के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, अदालत ने माना कि पीएमएलए के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता और जांच के प्रारंभिक चरण को देखते हुए ईडी की हिरासत में पूछताछ के अनुरोध को उचित माना।

बिहार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में होने हैं, तृणमूल कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के लिए कोई जगह छोड़े जाने की संभावना कम ही है।

तमिलनाडु में कांग्रेस-डीएमके गठबंधन भी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, खासकर इसलिए, क्योंकि कांग्रेस, अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी, टीवीके के करीब दिख रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पहले ही इंडिया ब्लॉक से बाहर होने की घोषणा कर चुके हैं, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कांग्रेस से उचित दूरी बनाए रखने के संकेत दे रहे हैं।

कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हर कोशिश को उजागर करेंगे, चाहे वह कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो, जो असली मतदाताओं को हटाने या फर्जी मतदाताओं को जोड़ने के लिए की जा रही है। कांग्रेस पार्टी संस्थाओं के पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग से लोकतांत्रिक सुरक्षा -तंत्र को कमजोर नहीं होने देगी।"

दिल्ली पुलिस ने अल फलाह के छात्र को देवबंद से गिरफ्तार किया

सहारनपुर, 19 नवंबर। सफेद पोश आतंकी माड्यूल की आतंकी गतिविधियां उजागर होने के बाद, फरीदाबाद को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस का तीसरे वर्ष का छात्र अहमद रजा दिल्ली पुलिस की हिरासत में है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम मंगलवार शाम देवबंद से इस छात्र को अपने साथ लेकर गई थी। मोहल्ला पठानपुरा निवासी इस छात्र का पिता अब्बास जैदी यहां भायला रोड़ स्थित असगरिया मदरसे के पास ट्रैक्टर के स्पेयर्स पाट्स की दुकान करता है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा तीन साल पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ ाई करने के लिए गया था और अभी हाल ही में वह देवबंद घर पर आया था। उनका लड़का पूरी तरह से निर्दोष है।

दूसरी ओर, पुलिस और जांच एजेंसियां जनपद में रह रहे कश्मीरी छात्रों की तलाश में जुटी है। जांच-पड़ताल के लिए आई टीम की अगुवाई कर रहे श्रीनगर-अनंतनाग के डीआईजी जावेद इकबाल मट्टू ने बताया था कि डा0 अदिल मजीद राथर के सहारनपुर के आवास से तलाशी के दौरान जो डायरी और दूसरी सामग्री मिली थी उसमें सहारनपुर और आसपास के इलाकों में रहने वाले कश्मीरी छात्रों और युवकों का ब्योरा दर्ज था।

■ **छात्र अहमद रजा अल फलाह में मेडिकल कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा है**

एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि एक तो पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। दूसरे जनपद में किराएदारों का वेरीफिकेशन कराया जा रहा है। संदेह है कि नए माड्यूल से जुड़े कुछ लोग इस जनपद में या फिर आसपास के इलाकों में कहीं शरण तो लिए हुए नहीं हैं।

सोलह जजों, एक सौ तेइस रिटायर्ड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़" (राष्ट्रीय संवैधानिक प्राधिकारियों पर हमला) शीर्षक वाले इस खुले पत्र में हस्ताक्षरकर्ताओं ने चिंता जताई है कि "मूलभूत संस्थाओं" को बदनाम करने की एक सोची-समझी रणनीति अपनाई जा रही है।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि गणराज्य के स्तंभों की ओर "जहरीली बयानबाज़ी की बढ़ती लहर" चलाई जा रही है। उनके अनुसार, कुछ राजनीतिक नेताओं ने रचनात्मक नीति-चर्चा को त्याग दिया है और बिना सबूत के गुस्से में दिए गए आरोपों पर निर्भर हो गए हैं।

पत्र में कहा गया है कि सेना, न्यायपालिका, संसद और कई संवैधानिक पदों को बदनाम करने के बाद, अब वही नेता चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी निष्पक्षता प्रभावित हो गई है।

पत्र में राहुल गांधी की कई हालिया टिप्पणियों का ज़िक्र है, जिनमें उन्होंने बार-बार कहा है कि उनके पास "वोट चोरी" के ऐसे सबूत हैं, जिनमें शक की गुंजाइश नहीं है और पूरी तरह स्पष्ट हैं।

पत्र में यह भी उल्लेख है कि गांधी ने सार्वजनिक रूप से अपने इन कथित सबूतों को "एटम बम" बताया था और कहा था कि इनके सामने आने पर चुनाव आयोग को "छिपने की कोई जगह" नहीं मिलेगी। पत्र में हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह भी कहा है कि इतने नाटकीय दावों के बावजूद राहुल गांधी ने अभी तक हलफ़नामे के साथ कोई आधिकारिक शिकायत नहीं दी है, जबकि जवाबदेही तय करने के लिए यह ज़रूरी है। वे कहते हैं कि वर्तमान या पूर्व चुनाव आयुक्तों को धमकाना उन अधिकारियों को डराने जैसा है, जो संवैधानिक कर्तव्य निभा रहे है।

राहुल गांधी के साथ-साथ, पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, अन्य विपक्षी दलों के पदाधिकारियों, वामपंथी विचारों वाले एन.जी.ओ., कुछ शिक्षाविदों, "खास विचारधारा वाले विद्वानों" और जीवन के कुछ अन्य क्षेत्रों के कुछ ध्यान आकर्षित करने वाले लोगों का भी नाम लिया गया है।

पत्र में कहा गया है कि आयोग को "भाजपा की बी-टीम" बताना भावनाएँ तो भड़का सकता है, पर तथ्यों की कसौटी पर सही नहीं ठहरता।

हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुसार, चुनाव आयोग पहले ही एस.आई.आर. प्रक्रिया को सार्वजनिक कर चुका है, कानूनी निगरानी की अनुमति दे चुका है, अपात्र प्रविष्टियों को हटाया है और वैध नए मतदाताओं को जोड़ा है, जैसा कि नियमों में निर्धारित है।

पत्र में आरोप लगाया गया है कि ये हमले "राजनीतिक हताशा" को "संस्थागत संकट" का रूप देने की कोशिश हैं, जबकि आयोग अपने निर्धारित नियमों के अनुसार काम कर रहा है।

कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया और प्रत्युत्तर में कहा कि पत्र की गहराई से जांच करने पर पता चलता है कि अधिकतर हस्ताक्षरकर्ताओं का झुकाव भाजपा की ओर है और उनका आर.एस.एस. या मोदी सरकार से गहरा संबंध रहा है। उदाहरण के लिए, पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी हैं।

कांग्रेस ने आगे यह भी कहा, आश्चर्यजनक बात यह है कि हस्ताक्षरकर्ताओं का यह समूह सरकारी एजेंसियों के खुले दुरुपयोग और संवैधानिक पदों के कमजोर होने पर कोई चिंता नहीं दिखाता, बल्कि इसके बजाय वह विपक्ष की भूमिका पर निशाना साधता है और राहुल गांधी के साथ-साथ वामपंथी विचारों वाले एन.जी.ओ. पर हमला करता है, जो आर.एस.एस. और भाजपा की एक विशेषता है।

कांग्रेस के प्रत्युत्तर के अनुसार, पत्र का उद्देश्य लोकतंत्र को कमज़ोर करना है तथा यह पत्र मोदी सरकार के विरोध को जनता की नज़रों में अविश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से लिखा गया है।

राजस्थान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नवंबर को तय की है।

याचिका में अधिवक्ता सविता सिहाग ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए 1 अगस्त 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने आवेदन किया था।

याचिका में आरोप लगाया गया कि आवेदन करते समय प्रोफेसर अल्पना ने अपने ऊपर लंबित आपराधिक प्रकरण की जानकारी नहीं दी। जबकि नियमानुसार, उन्हें इस संबंध में जानकारी देनी थी। ऐसे में उन्होंने तथ्य छुपा कर नियमों की अवहेलना की है। ऐसे में उनके चयन को निरस्त किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ में राज्य सरकार सहित, अन्य संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब करते हुए स्टे एप्लीकेशन पर प्रोफेसर अल्पना से अलग से जवाब देने को कहा है।

डॉ. शाहीन ने अल-फलाह की प्रयोगशाला से बम बनाने के रसायन चुराये

एनआईए ने डॉ. शाहीन द्वारा उपयोग की गई संदिग्ध कार कानपुर से बरामद की

नयी दिल्ली, 19 नवंबर। दिल्ली विस्फोट मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उत्तर प्रदेश के कानपुर के हितकारी नगर से हरियाणा में पंजीकृत एक संदिग्ध कार बरामद की है।

एनआईए अधिकारी कार के मालिकाना हक की जांच कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, इस मामले में गिरफ्तार डॉ. शाहीन सईद विस्फोट से लगभग 25 दिन पहले कानपुर गयी थी। पूछताछ में डॉ. शाहीन और उसके सहयोगी मुजम्मिल ने कथित रूप से फरीदाबाद स्थित अल-फ़लाह विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला से बम बनाने के लिए रसायन चुराने की बात स्वीकार की। कई छापों के बाद विश्वविद्यालय पहले ही जांच के दायरे में है। इस बीच, एनआईए की व्यापक आतंकवाद-रोधी जांच से पता चला है कि डॉ. उमर नबी कथित रूप से अतिरिक्त आत्मघाती हमलावरों की भर्ती एवं प्रशिक्षण की कोशिश कर रहा था। जांचकर्ताओं ने पाया कि उसने कम से कम 11 व्यक्तियों को प्रेरक वीडियो वितरित किया था, जिनमें से सात कश्मीर से तथा अन्य उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक से थे। उन सभी का विश्वविद्यालय से कोई न कोई संबंध था। एनआईए सूत्रों के अनुसार, उमर का उद्देश्य अकेले काम करने के बजाय, एक पूरा आत्मघाती दस्ता तैयार करने का था। फोरेंसिक टीमें उसके अंग्रेजी वीडियो के असामान्य लहजे की जांच कर रही हैं जो कृत्रिम रूप से संशोधित प्रतीत होता है।

■ **एनआईए की जांच में जानकारी मिली है कि डॉ. उमर नबी कथित रूप से आत्मघाती हमलावरों की भर्ती व प्रशिक्षण की कोशिश कर रहा था। उसका उद्देश्य पूरा आत्मघाती दस्ता तैयार करना था।**

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908